



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082021-228749
CG-DL-E-04082021-228749

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2910]
No. 2910]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2021/श्रावण 13, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2021/SHRAVANA 13, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(अन्वेषण प्रभाग- V)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2021

का.आ. 3136(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उपधारा (1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से जयेष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रथम वर्ग न्यायालय, पूर्वी खासी, जिला, सिलांग को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 280क की उपधारा (1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 84 के प्रयोजनार्थ मेघालय राज्य के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।

[अधिसूचना सं. 88/2021/फा. सं. 285/18/2021-आईटी (अन्वेषण-V) सीबीडीटी]

दीपक तिवारी, आयकर आयुक्त (ओएसडी) (अन्वेषण), सीबीडीटी